राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *48

26 जून, 2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात निगम के झारखंड स्थित बिक्री केन्द्र

***48. श्री महेश पोद्दारः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने वर्ष 2012 के बाद झारखंड स्थित अपने बिक्री केन्द्र बंद कर दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के झारखंड स्थित बिक्री केन्द्रों को खोले जाने की कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"राष्ट्रीय इस्पात निगम के झारखंड स्थित बिक्री केन्द्र" के बारे में श्री महेश पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में दिनांक 26 जून, 2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *48 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) दिनांक 27.03.2007 से 07.06.2012 तक की अवधि के दौरान जमशेदपुर में एक परेषण बिक्री एजेंसी (सीएसए) चला रहा था। ग्राहक अपने लॉजिस्टिक कारणों से कोलकाता और पटना स्थित आरआईएनएल शाखा कार्यालयों से सामग्री लेने को प्राथमिकता दे रहे थे और सीधे संयंत्र से सामग्री ले रहे थे। अतः सीएसए प्रभावी नहीं रह गया था। वर्ष 2012 के बाद से आरआईएनएल का झारखंड में कोई आउटलेट नहीं है। झारखंड में ग्राहकों को कोलकाता और पटना स्थित आरआईएनएल शाखा कार्यालयों से और सीधे संयंत्र से सेवाएं प्रदान की जा रही है।

(ख) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। प्रचालन, निवेश, बिक्री, विपणन आदि से संबंधित निर्णय लेना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कंपनियों द्वारा इस संबंध में निर्णय वाणिज्यिक सोच-विचार, बाजार गतिशीलता इत्यादि के आधार पर लिए जाते हैं।

****